





Mussoorie Dehradun Development Authority

working for you and helping you

प्राधिकरण की 72 वीं बोर्ड बैठक
दिनांक 31.05.2007 का कार्यवृत्त



12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506

वेबसाइट:- Mdda-online.com ई-मेल:-mdda@sancharnet.in



72 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2007

आज दिनांक 31.05.2007 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल | अध्यक्ष |
| 2. श्री शत्रुघ्नसिंह, सचिव, आवास एवं नगर विकास उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 3. श्रीमती राधा रतूडी, सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 4. श्री सुब्रत विश्वास, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण | उपाध्यक्ष |
| 5. श्री इन्दुधर बौड़ाई, मुख्य नगर अधिकारी, देहरादून | सदस्य |
| 6. श्री एन०एन०थपलियाल, अपर सचिव वित्त | सदस्य |
| 7. श्री बृज बी०रतन, मुख्य नगर नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल | सदस्य |
| 8. श्री आर०एन०वर्मा, अधीक्षण अभियंता, पेयजल निगम, देहरादून | सदस्य |



उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बोर्ड बैठक दिनांक 18.12.2006 की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः सर्वसम्मति से अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी।

विषय क्रमांक 1 :- प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति।

बोर्ड द्वारा बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 2 :- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन, संविदा एवं तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का विनियमितीकरण किये जाने एवं संशोधित पुर्नगठन ढांचा सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है।

विषय क्रमांक 3:- देहरादून महायोजना प्रारूप 2005-2025 के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान के सम्बन्ध में पृथक ⁹ एक बैठक कर ली जाये।

विषय क्रमांक 4:- प्राधिकरण में केन्द्रीयत कर्मचारियों को समयमान वेतनमान अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस तरह के प्रकरण अन्य विभागों में भी है अतः शासन स्तर पर निर्णय लिया जाये।

विषय क्रमांक 5:- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु ठेकेदारों की पंजीकरण एवं नवीनीकरण नियमावली में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पी0डब्ल्यू0डी के रेटस के आधार पर पुनः परीक्षण करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।



विषय क्रमांक 6 :- ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार के अन्तर्गत परिवहन निगम को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में सचिव आवास से अनुरोध किया जाये कि वह अपने स्तर से एक बैठक आयोजित कर समस्या का समाधान करें।

विषय क्रमांक 7:- माजरा देहरादून में सिटी सेन्टर बनाये जाने, एवं घण्टाघर के पास दूनहाट योजना के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सिटी सेन्टर के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाये एवं दून हाट के सम्बन्ध में पूर्व में नियुक्त कन्सल्टैन्ट द्वारा तैयार की गयी योजना सचिव आवास के समक्ष प्रस्तुत की जाये। एम0डी0डी0ए0रैम्की आई0एस0बी0टी0लिमिटेड के प्रबन्धन को बुलाकर उनका पक्ष सुनते हुए उपाध्यक्ष शासन को अपनी आख्या प्रेषित करें।

विषय क्रमांक 8:- ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में इन्टीग्रेटिड कामर्शियल काम्पलैक्स के निर्माण के सम्बन्ध में।

पूर्व गठित समिति के संस्तुति के आधार पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शिप की योजना तैयार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 9:- तरला नागल एवं धोरणखास क्षेत्र में अधिग्रहित की गयी भूमि में से प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त भूमि का नियोजन कर योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में

उपाध्यक्ष ने सुझाव दिया कि देहरादून शहर में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयो हेतु आरक्षित भूमि की कमी है इसलिए इस भूखण्ड का सर्वे कराकर तलपट मानचित्र तैयार करवाया जाये तथा इस भूखण्ड को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय हेतु आरक्षित रखा जाये।

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



विषय क्रमांक 10:— सहारनपुर हरिद्वार वाईपास पर ग्रेटर दून योजना के नाम से अधिग्रहित की गयी भूमि में से कब्जा एवं एवार्ड भूमि के नियोजन कर योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है अतः इस हेतु पृथक से बैठक कर ली जाये।

विषय क्रमांक 11:— मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड प्राईवेट फोरेस्ट इस्टेट एवं अननोटिफाईड इस्टेट व अन्य वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये तथा इस प्रकरण के निस्तारण हेतु सचिव, वन विभाग को भी आमंत्रित किया जाये।

विषय क्रमांक 12:— प्रकाश लोक फेज III खसरा नं० 50, 51 एवं 52 पर स्थित अनाधिकृत प्लानिंग को प्रोरेट के आधार पर नियमित करने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 13:— प्राधिकरण की योजनाओं के मध्य भूमि अर्जन से छूटी हुई एवं आसपास स्थित भूमि के अधिग्रहण किये जाने की स्वीकृति हेतु।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 14:— मानचित्र संख्या सी-72/2006-2007 के अन्तर्गत श्री विजय खन्ना, मै० पैराडाइज होटल एण्ड रिसोर्ट द्वारा ग्राम कांवली में भूमि ख० नं० 638, 639, 639/1, 639/2 कुल भूमि क्षेत्रफल 1980.31 वर्ग मीटर में होटल निर्माण के सम्बन्ध में।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि भूखण्ड का आशिक भाग कृषि एवं नाला/खाला है अतः प्रस्ताव भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाये।

[Signature]

[Signature]



विषय क्रमांक 15:- स्थल खसरा नं 746, 748, 376, 707, 708, 709, 711, 735, 736, 739, 741, 745/2, 747 माजरा पर साईवर सिटी (आई0टी0) का मानचित्र संख्या-88/2003-04 व मानचित्र संख्या एल-0008/06-07 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय क्रमांक 16:- आवेदक श्री गिरिराज सिंह रावत द्वारा ख0न0 370/7 मौजा रायपुर में योग एवं ध्यानकेन्द्र (वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटक परियोजना) के अन्तर्गत मानचित्र सं0-1792/06-07 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यह एक नीतिगत प्रकरण है इस पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से राय प्राप्त कर ली जाये ।

विषय क्रमांक 17:-सम्पति संख्या-18 प्रीतम रोड़ डालन वाला में मानचित्र सं0-सी-0021/06-07 तथा सम्पति संख्या-3/1 प्रीतम रोड़ डालन वाला में मानचित्र सं0 सी-0023/06-07 के सम्बन्ध में ।

समयाभाव के कारण इस प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया जा सका । प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 18:- श्री यश मेहता एवं श्रीमती उमा उनियाल द्वारा आरकेडिया ग्रान्ट के भूमि खसरा नम्बर 478 एवं 490 में सीनियर हास्टल एवं स्किल सेन्टर फार डैस्टिट्यूट चिल्ड्रन आफ रूरल बैंक ग्राउन्ड (Pestalozzi Children's Village Society) के भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में ।

समयाभाव के कारण इस प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया जा सका । प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 19:- ग्राम भगवन्तपुर के भूमि खसरा नं0 43 एवं 44 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भवन की स्वीकृति हेतु ।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय क्रमांक 20:-श्रीमती जशोदा नौटियाल खसरा नम्बर 1099 भूमि पर निर्मित भवन का शमन मानचित्र शमन किये जाने विषयक ।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

[Handwritten signature]



विषय क्रमांक 21:—आबंटी श्री रामकृष्ण निर्मल के भवन संख्या 13 भूतल एच0आई0जी0, नेहरूपुरम आवासीय योजना में किशतों में सम्मिलत ब्याज एवं दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

समयाभाव के कारण इस प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया जा सका। प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 22:—ग्राम बगराल में स्थित खसरा नं0 322 रकबा 0.93 एकड़ भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 23:—ग्राम सिनौला में स्थित खसरा नं0 109ग, 110क, 110ख, 113क, एवं 114क जिसके पुराने खसरा नम्बरान 3 एवं 7से 10 रकबा 3680 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उद्यान भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 24:—ग्राम मंगलूवाला में स्थित खसरा नं0 पुराना 273 जिसके नये खसरा नम्बरान 181क, 189ग, 190, 191, 195, 228ख, 223ख, 226 एवं 228ग रकबा 14731.17 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग वन भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

d.



विषय क्रमांक 25:- ग्राम मंगलूवाला में स्थित खसरा नं० 234 जिसका पुराना खसरा नम्बर 280 रकबा 1.445 है० भूमि का भू-उपयोग वन भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 26:-ग्राम कैरवान करनपुर में स्थित खसरा नम्बरान 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89क, 89ख, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106क, 106ख, 107, 108क, 108ख, 109, 110, 111, 112क, 112ख, 118, 120, 121, 122क, 122ख, 123, 124, 127, एवं 131 जिसके पुराने खसरा नम्बरान - 81, 83,90,95,94,92,91,99,98,100, 111, 101, 102, 97, 113, 115, 109, 110, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 89, 84, 85, 87, 88, 86, 120, 118, 116, 117, 127, 130, 131, 132 एवं 133 रकबा 14,500.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

व्या 13 भूतल
में में सम्मिलत
लेया जा सका।
र लिया गया।
एकड़ भूमि का
रिवर्तन करने के
सम्बन्धी मानक
ये।
ख, 113क, एवं
रकबा 3680
से आवासीय
सम्बन्धी मानक
ये।
नके नये खसरा
226 एवं 228ग
भू-उपयोग से
सम्बन्धी मानक
ये।

[Handwritten signature]



विषय क्रमांक 27 :- ग्राम कौरवान करनपुर में स्थित नये खसरा नम्बरान 320, 321क, 334ख, 353, 356, 357क, 361, 387, 307, 331, 373क, 314क, 324ख, 333, 337ख, 340, 355, 357ख, 360, 376क, 389, 392, 334क, 314क, 315, 316, 325क, 326क, 328ग, 335क, 336ख, 338क, 342, 343ख, 348, 350, 351क, 352, 354, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 378ख, 379, 380, 381, 382, 383ख, 386ख, 388क, 394, 368, 378क, 318, 321ग, 323ग, 336क, 337ग, 338ख, 341ख, 343क, 344, 345, 346, 347, 383क, 384, 385, 386क, 395ख, 332, 324क, 327, 328ख जिसके पुराने खसरा नम्बरान 12, 161, 258, 260 से 277 262मि०, 278 से 334 रकवा 3.837 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 28:- ग्राम चालंग में स्थित खसरा नम्बर नया 744ख, जिसका पुराना खसरा नम्बरान 821 से 827, 829 से 835, 837 से 842, 844 से 859, 861 से 864, 866 से 877, रकवा 4.939 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 29:- ग्राम देहराखास में स्थित खसरा नम्बरान नये 147क एवं 117ड जिसके पुराने खसरा नम्बरान 654 एवं 655 रकवा 2740 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन कराने सम्बन्धी।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

d.



विषय क्रमांक 30:- ग्राम बगराल में स्थित खसरा नम्बर 302 रकवा 0.3097 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन कराने सम्बन्धी।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 31:- सम्पत्ति संख्या 13बी सुभाष रोड देहरादून रकवा 211.41 वर्गमीटर भूमि/भवन का भू-उपयोग आवासीय भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन कराने सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 32:- ग्राम ईस्ट होपटाउन में स्थित खसरा नम्बरान 2127, 2133/1, 2129, 2128, 2122, 2131/2, 2132/1, 2132, 2133, 2051, 2116, 2055/3, 2051/4, 2054, 2083, 2049, 2045, 2046, 2044, 2039/8, 2051 रकवा 6.861 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 33:- ग्राम आर्केडिया ग्रान्ट में स्थित खसरा नम्बरान 1876, 1879मि०, 1892मि०, 1868, 1869, 1873, 1875, 1878/2, 1889, 1892, 1882/2, 1878/1/2, 1878/1, 1861, 1866, 1870, 1881, 1864/1, 1882, 1897, 1881/1, 1882/3, 1888, 1854, 1863, 1855, 1877, 1889/1, 1867, 1882 रकवा 6.932 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

d'

Subi'



विषय क्रमांक 34:— ग्राम विलासपुर कांडली में स्थित खसरा नम्बरान नये 334ख, 333, 332, 331क, 331ख, 331ग, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 323, 322, 314क 314ख, 338ख, जिसके पुराने खसरा नम्बरान 447, 449, 450, 467, 465, 466, 463, 462, 461, 460, 451, 452, एवं 440 रकवा 6.0290 है0 भूमि का भू-उपयोग अपरिभाषित भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 35 :- ग्राम आमवाला में स्थित खसरा नम्बरान नये 441, 442, 443क, 443ख, 444क, 444ख, 444ग, 445क, 445ख, 445ग, 446क, 446ख, 447, 448क, 449, 450, 451क, 451ख, 452, 452ख, 452ग, 453 से 456, 457क, 457ख, 458, 439ख, एवं 439ग जिसके पुराने खसरा नम्बरान 434, 436, 437, 438, 439, 442, 444, 447, 456 से 459, 462, 465, 455, 466, 467, 463, 464, 473, 472, 474, 475, 480, 433 एवं 445 रकवा 3.228 है0 भूमि का भू-उपयोग वन भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 36:— ग्राम कोटला सन्तोर में स्थित खसरा नम्बरान नये 323, 324, 325, 326ख, 334 से 337, 338क, 338ख, 353, 354क, 354ख, 355, 356क एवं 356ख, जिसके पुराने खसरा नम्बरान 124, 116, 114, 131 से 134, 135, 149, 150 से 152 रकवा 4.0330 है0 भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

d.



विषय क्रमांक 37:- ग्राम सलौनी वाला में स्थित खसरा नम्बरान नये 73क एवं 75क जिसके पुराने खसरा 64 एवं 65 रकवा 1160 वर्ग मी0 भूमि का भू-उपयोग उद्यान भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये ।

विषय क्रमांक 38 :- ग्राम पौधा में स्थित खसरा नम्बरान नये जिसके पुराने खसरा नम्बरान 985ग, 985घ, 985च, 985ज, 985क, 985झ, 985ट, 985ठ 985ड, 976, 985ञ, 984क, 984ख, 1185, 1186, 1187, 1188ग, 1188घ, 1189ग, 1189घ, 1200ख, 1247ख, 1262ख, 1263, 1267, 1258, 1259, 1283झ, 1281घ, 1347, 1348, 464ट, 464ड, 464ज, 984ख, 984ज, 983क, 983ख, 977, 985ड, 1216च 1216ज एवं 1263 जिसके पुराने खसरा नम्बरान 1541, 1543, 724, 1545, 1546, 1549, 1551, 1543, 1544, 1557, 1558, 1560, 1561, 1562, 1563, 1567, 1550, 722, 1554, 1556, 1559, 1564, 1566, 1551, 1553, 1548, 1565, 721, 724, 723, 696, 710, 711, 709, 707, 708, 702, 703, 704, 708, 704, 1598, 1634, 1635, 1667, 1632, 1502, 1653, 1616, 1617, 1618, 1600, 546, 725, 724, 727, 729, 1547, 727, 730, 731, 728, 729, 732, 1548, 733, 734, 7542, 601, 602 एवं 1635 रकवा 8.4025 है0 भूमि का भू-उपयोग कृषि एवं वन भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये ।

d.

Subh

4ख, 333,
323, 322,
149, 450,
रकवा 6.
आवासीय

धी मानक

2, 443क,
16ख, 447
से 456
नम्बरान
162, 465,
एवं 445
आवासीय

धी मानक

124, 325,
5, 356क
से 134
गो कृषि
ध में।

धी मानक



विषय क्रमांक 39 :- ग्राम दानियों का डाण्डा में स्थित खसरा नम्बरान 71ख एवं 84घ जिसका पुराना नम्बर 15 रकबा 129.46 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

विषय क्रमांक 40 :- ग्राम मालसी में स्थित खसरा नम्बरान 319 एवं 320 रकबा 1276.29 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग कृषि से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 1- निरंजनपुर स्थित खसरा नम्बर 189 में आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये। ~~जिस हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया गया।~~

अनुपूरक विषय क्रमांक 2- ग्राम-डाण्डा नूरीवाला में स्थित खसरा नम्बरान नये 65 एवं 66क जिसके पुराने खसरा नम्बरान 61,65,66 एवं 67 रकबा 2228.00 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग आवासीय भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

d.



नम्बरान 71ख एवं 84घ
र भूमि का भू-उपयोग
परिवर्तन करने के सम्बन्ध

परिवर्तन सम्बन्धी मानक
तैयार किये जायें ।

नम्बरान 320 रकबा 1276.
क भू-उपयोग में

परिवर्तन सम्बन्धी मानक
तैयार किये जायें ।

आवासीय भवन

परिवर्तन सम्बन्धी मानक
तैयार किये जायें ।

नम्बरान 65 एवं
रकबा 2228.00
व्यवसायिक

परिवर्तन सम्बन्धी मानक

नुपूरक विषय क्रमांक 3- ग्राम-तरला नागल में स्थित खसरा नम्बरान नये 62,63,64, 70,71,102,103 एवं 104 जिसके पुराने खसरा नम्बरान 141,147,146,148, 149, 128,129, एवं 130 रकबा 0.7010 है। भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जायें ।

नुपूरक विषय क्रमांक 4- ग्राम-चांलग में स्थित खसरा नम्बरान नये 916,918,919क,ख,920 से 925, 926क, 926ख, 926ग, 927 से 929, 930ख, 931क, 931ख,932,933क,933ग,933घ 933ङ, 934ग, 934ख, 935, 936क, 936ख, 936ग, 936घ, 937, 938, 939क, 939ख,941, 942,943,944, 945,946,947, 954,955, 956क,956ख,957,958,एवं 960क जिसमें पुराने खसरा नम्बरान जो हैं 1018,1022,1023,1024, 1021, 1020, 1019,1031, 1017,1029,1028,1025,1026,1044,1045,1043मि०,1026मि०, 1026, 1016,1030, 1034,1032,1033,1035,1036,1037, 1049 मि०,1040 मि०,1049 मि०,1039, 1050, 1056मि०, 1048,1042,1046मि०,1047मि० ,एवं 1057मि० रकबा 3.4080 है। भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जायें ।

नुपूरक विषय क्रमांक 5-ग्राम-चन्द्रोटी में स्थित नम्बरान नये 90, 91, 92, 93,94,95ग, 99ग,99ख एवं 100 जिसके पुराने नम्बरान 53, 54, 58, 47, 26, 45, 46, 48, 50,52 एवं 59 रकबा 0.5520 है। भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जायें ।

d.

[Handwritten signature]



अनुपूरक विषय क्रमांक 6- ग्राम-चन्द्रोटी में स्थित नम्बरान नये 89ग,90 एवं 100 जिसके पुराने खसरा नम्बरान 58, 53, 54, 50, 52 एवं 59 रकबा 0.1335 है0 भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

अनुपूरक

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 7- ग्राम-रायपुर में स्थित खसरा नम्बरान 330/3, 331 एवं 333/1 रकबा 0.4090 है0 भूमि का भू-उपयोग फोरेस्ट(वन) भू-उपयोग से शैक्षिक भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

अनुपूरक

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 8- ग्राम-गुनियाल गांव में स्थित खासरा नम्बरान नये 88,90,209,210क,211क,212,214,215क,216,217क,219,220,289क,290 एवं 292 जिसके पुराने खसरा नम्बरान 128,129,130,133,137 से 141,123 से 126 रकबा 18.32 एकड़ भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

अनुपूरक

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 9- ग्राम-आकेडिया में स्थित खसरा नम्बरान 784/4, 784/5,807,809 एवं 810 रकबा 2.098 है0 भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से शैक्षिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

अनुपूरक

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये ।

d.



अनुपूरक विषय क्रमांक 10- ग्राम-कोल्हूपानी में स्थित खसरा नम्बरान 358,359,360 एवं 361 रकबा 0.35 एकड़ भूमि का भू-उपयोग उद्यान भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 11- ग्राम-सुदोवाला में स्थित खसरा नम्बरान नये 439क,440 एवं 439ख जिसके पुराने खसरा नम्बरान 48,49,50 एवं 51 रकबा 1.52 एकड़ भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक भू-उपयोग एवं कृषि भू-उपयोग से टूरजम भू-उपयोग में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये जिस हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 12- ग्राम-केदारपुर में स्थित खसरा नम्बरान नये 214घ, 368ख, 374ड, 374ट, 376, 377ख, 380, 381, 382ख एवं 384क जिसके पुराने खसरा नम्बरान 274मि0, 291मि0, 292मि0, 293मि0, 294 से 297, 299 एवं 307 रकबा 2.428 है0 भूमि का भू-उपयोग सीव्रेज फार्म भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 13- ग्राम-अजबपुर खुर्द में स्थित खसरा नम्बरान नये 19क एवं 21क जिसके पुराने खसरा नम्बरान 3,6,10,11,5 एवं 4 रकबा 6322 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग आवासीय भू-उपयोग से शैक्षिक भू-उपयोग में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

d.

Suhni

1,90 एवं 100 रकबा 0.1335 भू-उपयोग

सम्बन्धी मानक

/3, 331 एवं भू-उपयोग

सम्बन्धी मानक

नम्बरान नये 89क,290 एवं 141,123 से भू-उपयोग से

सम्बन्धी मानक

न 784/4, उपयोग कृषि सम्बन्ध में।

सम्बन्धी मानक



अनुपूरक विषय क्रमांक 14 - ग्राम-दानियों का डाण्डा में स्थित खसरा नम्बरान 68 एवं 69 जिसका पुराना खसरा नम्बर 15मि0 रकबा 650 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी मानक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 15 :- प्राधिकरण सेवा के केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत कार्मिको को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।


बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर शासन रूतर से निर्णय लिया जाना है।


अनुपूरक विषय क्रमांक 16:- फ्रेन्ड्स हाउसिंग सोसायटी द्वारा स्थल डाण्डा धोरा तथा खसरा नम्बर 112 गुजराड़ा मानसिंह सहस्त्रधारा रोड पर प्रस्तुत ले-आउट मानचित्र संख्या 92/2003-04 के सम्बन्ध में।

समयाभाव के कारण के प्रश्नगत प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया गया प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 17 :- राजपुर रोड पर स्थित खसरा नम्बर 384/4 , 368, 369, 371 तथा 372 मौजा जाखन सम्पत्ति संख्या-155 राजपुर रोड आवासीय भू-उपयोग में होटल निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

समयाभाव के कारण के प्रश्नगत प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया गया प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।


(सुब्रत विश्वास) 2/6/17
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।


(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

